

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### पंद्रहवां सत्र

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022/21 श्रावण, 1944 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

##### (2) अतारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

#### 2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-7(2) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 16/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-8(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 17/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

- (iii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 18/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (iv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 19/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-54(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:20/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:12/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2018 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1),11(1),15(5) और 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:13/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

- (viii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:14/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:15/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:8/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:9/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:10/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2018 दिनांक 23.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2018 को प्रकाशित;

- (xiii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:11/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 दिनांक 26.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.05.2018 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:5/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:6/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xvi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1)(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:7/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xvii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1), 11(1), 15(5) व 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:1/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xviii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:2/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

- (xix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:3/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xx) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-148 के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:4/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;
- (xxi) हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा-10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:जीएडी-ई-डी(6)-1/2021 दिनांक 21.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2022 को प्रकाशित;
- (xxii) मंत्रियों के वेतन और भत्ते(हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 व 9 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम(संशोधन) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:जीएडी-सी0-डी0(6)-1/2019 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2022 को प्रकाशित; और
- (xxiii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 ।

- (2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:रैव-बी-ए(3)-9/2021 दिनांक 31.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.05.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट(विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016(2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा-78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21; और
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(6)(b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 ।
- (4) **डॉ० राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री**, बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970(संशोधित) की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (6) **डॉ० राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग, पंचकर्म मालिशिया, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:आयु-ए(3)/-3 2021 दिनांक 14.07.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

- (7) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,**  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 233वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति का 234वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (iii) समिति का 235वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (iv) समिति का 236वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (v) समिति का 237वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;

- (vi) समिति का 238वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति का 239वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;
- (viii) समिति का 240वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **जल-शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ix) समिति का 241वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;
- (x) समिति का 242वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (xi) समिति का 243वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;
- (xii) समिति का 244वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;



- (xiii) समिति का 245वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;
- (xiv) समिति का 246वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xv) समिति का 247वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xvi) समिति का 248वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xvii) समिति का 249वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xviii) समिति का 250वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xix) समिति का 251वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

- (xx) समिति का 252वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (xxi) समिति का 253वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 140वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (xxii) समिति का 254वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 142वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और
- (xxiii) समिति का 255वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है ।

- (2) श्री रमेश चन्द धवाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन की संवीक्षा पर आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नाबार्ड के तहत सड़क एवं पुल निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति के 24वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

- (iv) समिति के 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (v) समिति के पंचम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और
- (vi) समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) **कर्मल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2022-23),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 59वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 60वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति का 61वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2016-17) 31 मार्च, 2017 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.1 से 3.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है;

- (iv) समिति का 62वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.2 व 3.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है; और
- (v) समिति का 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित है ।
- (4) श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 44वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 34वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "मादक द्रव्य तथा नशा निवारण योजना" से सम्बन्धित है ।
- (5) श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि कार्मिक विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

- (6) श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 32वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (iii) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
  - (iv) समिति का 35वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (v) समिति का 36वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (vi) समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (vii) समिति का 38वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि वित्त विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (viii) समिति का 39वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (ix) समिति का 40वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि आयुष विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (x) समिति का 41वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

- (7) श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि आवास विभाग की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iii) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (iv) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (v) समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है ।
- (8) श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2022-23), समिति का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, "to call the attention of the Jal-Shakti Minister to the situation arising out of the massive cloudburst in Salooni Tehsil causing one death and huge loss to property and public services."

- (2) श्री राकेश जम्वाल, दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "100 मीटर दूर सामान ले जाने के लिए 20 किलोमीटर का लम्बा फेर" से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य:

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, "जल-शक्ति विभाग में वर्ष 2017 से 2022 तक हुये विभिन्न विकासात्मक कार्यों" पर वक्तव्य देंगे ।

6. सांविधिक ईकाईयों हेतु मनोनयन :

- (1) डॉ० राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"That in pursuance of the provision contained under Section 16(1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination".

- (2) डॉ० राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board ."

## 7. वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे:-

- (i) सामान्य चर्चा ।
- (ii) अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

## 8. विधायी कार्य :

### (I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7) संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2013-2014 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।



- (iv) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 14)का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (v) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश धर्म की हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019(2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (vi) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972(1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (vii) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9) जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (viii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

- (ix) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

- (X) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।  
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

## (II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

- श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7) संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2013-2014 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

## 9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

- (1) श्री इन्द्र दत्त लखनपाल  
श्री जगत सिंह नेगी  
श्री बिक्रम सिंह जरयाल } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा से हो रहे भू-स्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों तथा सम्पत्तियों को हो रहे नुकसान से बचाव तथा राहत हेतु दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने बारे यह सदन विचार करे।"

\*\* (दिनांक 10 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी)

- (2) श्री रोहित ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004  
दिनांक: 11 अगस्त, 2022

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पंद्रहवां सत्र)

शुक्रवार 12 अगस्त, 2022/ 21 श्रावण, 1944 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

---

मद संख्या

शुद्धियां

---

तारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-42

\*5303

"विलोप किया गया ।"

अतारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-27

2269

"विलोप किया गया ।"

शिमला-171004

दिनांक: 11.08.2022

यशपाल शर्मा,

सचिव।

\*\*\*\*\*